भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3670

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण 1948 (शक)

जोखिम वाले उद्योगों में संविदा श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षण

†3670. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपर्याप्त प्रशिक्षण, अलग-अलग जवाबदेही और अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के कारण जोखिम वाले उद्योगों में संविदात्मक और आउटसोर्स श्रमिकों को हो रहे उच्च व्यावसायिक जोखिमों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नियोक्ताओं के लिए संविदात्मक श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के समान सुरक्षा प्रशिक्षण,सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था और मुआवजा सुरक्षा उपाय प्रदान करना अनिवार्य है और यदि हां, तो अनुपालन की निगरानी के लिए क्या तंत्र है; और

(ग) व्यावसायिक सुरक्षा ढांचे का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, रोकी जा सकने वाली औद्योगिक मौतों के लिए जवाबदेही तय करने तथा श्रम निरीक्षण और सुरक्षा प्रवर्तन प्राधिकरणों में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत सरकार ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 अधिनियमित की है, जो किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य- दशाओं का विनियमन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हो गई है। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 08.05.2026 को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं (केंद्रीय) नियम,2026 भी अधिसूचित किए हैं।

कार्यस्थल सुरक्षा के संबंध में, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं संहिता, 2020, संविदात्मक और नियमित कामगारों के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। संहिता के अनुसार, नियोक्ताओ के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभी कर्मचारियों के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथाआवश्यक जानकारी, अनुदेश, प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता, 2020, नियोक्ताओं द्वारा कामगारों के लिए निःशुल्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), कल्याणकारी सुविधाएँ, प्राथमिक उपचार आदि उपलब्ध कराने का अधिदेश करती है।

जारी–2/--

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं संहिता, 2020 के अधीन पंजीकृत स्थापनों के नियोक्ता के लिए संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है। इनके किसी भी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं संहिता, 2020 के अधीन अधिसूचित मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता/निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को नियोक्ता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 भी अधिनियमित की है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हो गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार, प्रतिकर से संबंधित विषयों का निपटान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर किया जाता है।
